न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–डॉ एस.पी.सि

प्रकरण संख्या– 57 / 2017

बउनवान

ओमप्रकाश आयु 40 साल पुत्र श्री शिवनारायण जाति–माली निवासी–
बमोरीकलॉ तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार,मॉगरोल (रेस्पोंडेंट)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956</u>

उपस्थिति :–1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

<u>निर्णय दिनांक– 05.03.2018</u>

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 11.2.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बमोरीकलॉ, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1709 रकबा 0.79 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर बेदखली, 936/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि न्याय एवं संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यों के सवर्थ त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। आदेश पारित करने से पूर्व जुडिशियल माइन्छ का प्रयोग नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है। वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है ना हीं किसी प्रकार का राजस्व बकाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.2.2017 निरस्त फरमाया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नही देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी है। साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.2.2017 निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 11/2016 निर्णय दिनांक 10.2.2016 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 11/2016 निर्णय दिनांक 10.2.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी चारागाह पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 07/2017 में पारित आदेश दिनांक 11.02.2017 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज.)